ज्ञान अवधारणाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कानूनी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार करता है। कानूनी शिक्षा की कल्पना एक ऐसी न्यायोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की है जोकि भारत के संविधान में उल्लिखित मूल्यों की उपलब्धि के लिए जरूरी है। इस कल्पना को ध्यान में रखते हुए कानूनी शिक्षा को ऐसे कानूनी व्यावसायिक तैयार करने का उद्देश्य रखना चाहिए जोकि केवल न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों के रूप में नहीं बल्कि शिक्षाविदों, विधायकों, न्यायाधीशों, नीतिनिर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, सिविल समाज कार्यकर्ताओं और साथ ही निजी क्षेत्र में कानूनी काउंसिल के रूप में व्यावसायिक नैतिकशास्त्र के उच्चतम मानकों और जनसेवा की भावना का निर्वाह करते हुए निर्णायक नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। साथ ही कानूनी शिक्षा को ऐसे व्यावसायिक तैयार करने चाहिए जोकि अंतर्राष्ट्रीयकरण की, जहां कानून की प्रकृति और संगठन तथा कानूनी व्यवहार में एक प्रतिमान बदलाव आ रहा है नई चुनौतियों और आयामों से निपटने में सक्षम हों। इसके अलावा नए कानूनी ज्ञान और विचारों का सृजन करने के लिए मौलिक और पथप्रदर्शक कानूनी अनुसंधान की जरूरत है जोकि देश तथा हमारे संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों की जरूरतों के प्रति अनुकूल तरीके से इन चुनौतियों को पूरा करने में मदद करेगा। परामर्शी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में एनकेसी ने भारत में कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के वास्ते आवश्यक उपाय सुझाने के प्रयोजन से न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल का गठन किया है जिसमें बार, पीठ और शैक्षणिक क्षेत्र के विख्यात सदस्य शामिल होंगे। हितधारकों के साथ और आगे परामर्श के आधार पर एनकेसी ने निम्नानुसार प्रस्ताव किया है:

1. विनियामक सुधारः कानूनी शिक्षा के लिए एक नई स्थायी समिति

उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (आईआरएएचई) के तहत एक नए विनियामक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जिसे कानूनी शिक्षा के सभी पक्षों पर कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त हों और जिसके निर्णय कानून की शिक्षा देने वाले संस्थानों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी हों। कानूनी शिक्षा के लिए स्थायी समिति में 25 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं (विख्यात वकीलों, भारत की बार काउंसिल/बीसीआई के सदस्य, न्यायाधीश, शिक्षाविद, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, समाजसेवी, छात्र तथा अन्य सहित) और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की जरूरतों तथा चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से कानूनी शिक्षा को चुस्त बनाना होना चाहिए।

अधिवक्ता अधिनियम 1961 बनाते समय ऐसी परिकल्पना की गई थी कि कानूनी शिक्षा केवल न्यायालयों के लिए वकील तैयार करेगी और तदनुसार बीसीआई को 'कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा ऐसे छात्रों के लिए जिन्हें वकालत करने का अधिकार प्राप्त हो कानूनी शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने' की सीमित भूमिका प्रदान की गई थी। पिछले 50 वर्षों में और विशेष रूप से 1991 में किए गए उदारीकरण के बाद कानूनी शिक्षा की समूची अवधारणा में जबरदस्त बदलाव आया है। आज की स्थिति में कानूनी शिक्षा को केवल बार की ही जरूरतें नहीं पूरी करनी है बल्कि उसे इस व्यवसाय के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की नई–नई जरूरतें भी पूरी करनी है। वैश्विक मानकों के अनुरूप समग्र गुणवत्ता में सुधार लाए जाने की जरूरत इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर और भी अधिक प्रमुख बन गई है। पिछले 50 वर्षों में बदले हुए परिदृश्य और समग्र गुणवत्ता में मौजूदा अंतरालों और कमियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बीसीआई के पास अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय—दोनों तरह की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए न तो अधिकार हैं और न विशेषज्ञता। अतः एक ऐसे नए विनियामक तंत्र का गठन किए जाने की जरूरत है जिसके पास कानूनी शिक्षा के सभी पक्षों से निपटने और मौजूदा तथा भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों—दोनों की कल्पना मौजूद हो। तथापि, बीसीआई न्यायालयों में वकालत के लिए जरूरी न्यूनतम मानकों की सिफारिश करने के अधिकारों का प्रयोग करती रहेगी। इसके अलावा बीसीआई जहां तक बार के सदस्यों का संबंध है अनुशासन के अधिकारों का उपयोग करती रहेगी।

2. गुणवत्ता को प्राथमिकता प्रदान करें और एक क्रम निर्धारण पद्धति विकसित करें

समूचे देश के भीतर सुसंगत शैक्षणिक स्तर सुनिश्चित करने के एक तंत्र के रूप में कानून की शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के स्तर का आकलन करने के लिए सहमत मानदंडों के सेट के आधार पर एक स्वतंत्र क्रम–निर्धारण प्रणाली निर्मित किए जाने की जरूरत है। क्रम–निर्धारण का मानदंड कानूनी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे जबकि क्रम–निर्धारण आईआरएएचई द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए जाएंगे। इस तरह के क्रम–निर्धारण के आधार पर मान्यता दी जा सकती है अथवा समाप्त की जा सकती है। क्रम–निर्धारण परिणामों की वार्षिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, उन्हें नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाना चाहिए, उनको मानीटर किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

3. पाठ्यक्रम विकास

पाठ्यक्रय हितधारकों से नियमित फीडबैक सुनिश्चित करते हुए सम–सामयिक, अन्य विषय क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिन कोर और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी उनके बारे में निर्णय राष्ट्रीय विधि स्कूल (एनएलएसयू) तथा अन्य विधि स्कूल लेंगे। यह मौजूदा परिपाटी से हट कर है जिसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्धारण अधिकांशतः बीसीआई द्वारा किया जाता है। एक ऐसी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें संकाय और व्यावसायिक शामिल हों और जो सभी कोर तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री पर चर्चा करने के लिए छात्रों का फीडबैक प्राप्त करे और सभी कोर तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए एक 'माडल' पाठ्यक्रम तैयार करे। विधि स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 'माडल' पाठ्यक्रम का प्रयोग करने अथवा उससे विचलित होने की छूट रहेगी।

विधि की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक विधि परिप्रेक्ष्यों सहित संबंधित सम–सामयिक मुद्दों के साथ गुथी होनी चाहिए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम समाज विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के एक बहुविषयक्षेत्रीय निकाय पर आधारित होने चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र का विस्तार, व्यावसायिक नीतिशास्त्र की गहरी समझ उपलब्ध कराना, नैदानिक पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, कानूनी सहायता कार्यक्रमों को मुख्यधारा में शामिल करना तथा नवाचारी शिक्षा शास्त्रीय विधियां विकसित करना शामिल होना चाहिए। साथ ही कानूनी शिक्षा को सामाजिक रूप से प्रवृत्त किया जाना चाहिए और उसे छात्रों को सामाजिक न्याय के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।

4. परीक्षा प्रणाली

मौजूदा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसी मूल्यांकन विधियां तैयार की जानी चाहिए जोकि अनिवार्य विश्लेषणात्मक, लेखन तथा संचार कौशलों को प्रोत्साहित करने वाली हो, विवेचनात्मक तर्कशक्ति परीक्षण की जांच करती हों। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा समस्योन्मुखी होनी चाहिए जिसमें मात्र रटने की परीक्षा लेने की बजाय सैद्धांतिक और समस्योन्मुखी दृष्टिकोण शामिल किए गए हों। गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी शिक्षा शास्त्रीय विधियों के रूप में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के साथ–साथ परियोजना लेख, परियोजना और विषय मौखिक परीक्षा पर विचार किया जा सकता है।

5. प्रतिभासंपन्न संकाय को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उपाय

प्रतिभासंपन्न संकाय को आकर्षित करने तथा बनाए रखने के लिए पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में सुधार सहित बेहतर प्रोत्साहन लागू किए जाने चाहिए। प्रतिभासंपन्न संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और बनाए रखने के अन्य साधनों के साथ–साथ विश्वविद्यालयों और विधि स्कूलों के भीतर तथा उनके बीच वेतन विभेदों पर विचार करना जरूरी हो सकता है। ऐसा करने से कानूनी शैक्षणिक क्षेत्र में जहां अपर्याप्त पारिश्रमिक की समस्या अन्य विषय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है, प्रतिभा को बनाए रखने में मदद मिलेगी। उत्तम प्रतिभा को बनाए रखने और साथ ही उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में वेतन विभेदों पर विचार किया जा सकता है।

गुणवत्ता को बढ़ावा देने और बेहतर प्रोत्साहन सृजित करने के लिए संकाय के ऊपर से कानूनी व्यवसाय (जैसेकि परामर्शी एसाइनमेंट तथा न्यायालयों में कानूनी वकालत) में अवसरों से संबंधित पाबंदियां हटाए जाने की जरूरत है। ये सुधार एक संतुलित, उचित और विनियमित तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है जिससे कि सुसंगत शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर समझौता किए बिना संकाय के लिए समुचित प्रोत्साहन सुनिश्चित किए जा सकें। और आगे प्रोत्साहन के रूप में राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा नीति को आकार देने में शिक्षाविदों की सक्रिय सहभागिता के लिए बेहतर अवसर सृजित किए जाने चाहिए।

साथ ही मौजूदा पदोन्नति स्कीमों और प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के अवसरों पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। संकाय के लिए अन्य प्रोत्साहनों में शामिल हैं पूर्णतः प्रदत्त विश्राम दिवस; समुचित मकान किराया भत्ता; लब्धप्रतिष्ठ अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सम्मानित करने के लिए अवार्ड लागू करना; एलएलएम की डिग्री के बिना विधि अध्यापकों को नियुक्त करने की ढील बशर्ते कि व्यक्ति के पास प्रमाणित, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रत्यय–पत्र हों; विदेशों में स्थित शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के साथ संकाय विनिमय कार्यक्रम और मौजूदा आधारिक–तंत्र का स्तरोन्नयन।

6. विधि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान परंपरा विकसित करना

यदि भारतवर्ष को केवल उपलब्ध विधिक ज्ञान का उपभोक्ता न रहकर विश्व में नए विधिक ज्ञान और विचारों का प्रमुख निर्माता बनना है तो उसके लिए विधि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की एक परंपरा विकसित करनी होगी। अनुसंधान की इस तरह की गंभीर संस्कृति विकसित करने के लिए निम्न उपायों की जरूरत होगीः एलएल.बी. कार्यक्रम के अविभाज्य पक्षों के रूप में विश्लेषणात्मक लेखन कौशलों और अनुसंधान प्रविधि पर बल देना; उत्तम स्तर का आधारिक–तंत्र निर्मित करना (अनुसंधान–अनुकूल पुस्तकालय सुविधाओं, कंप्यूटरों और इंटरनेट की उपलब्धता; निर्णय विधि का डिजिटिकरण; समूचे विश्व में उपलब्ध अद्यतन पत्रिकाओं और विधिक डाटाबेसों की सुलभता सहित); शिक्षण भार को युक्तियुक्त बनाना जिससे कि संकाय सदस्यों को अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रह सके; अनुसंधान करने के लिए संकाय को विश्राम छुट्टियां मंजूर करना; यदि अनुसंधान परिणाम समकक्ष समीक्षित प्रकाशनों का रूप ले लें तो या

अतिरिक्त वेतन–वृद्धियों (यूजीसी स्कीम से बढ़कर) अथवा किसी अन्य समुचित तरीके से प्रोत्साहनों का सृजन करना; आवधिक संकाय संगोष्ठियों का संस्थायन करना; उत्तम स्तर की समकक्ष–समीक्षित पत्रिकाएं शुरू करना; पदोन्नति के लिए अनुसंधान उपलब्धि को एक मानदंड के रूप में निर्धारित करना; सर्वाधिक उद्धृत और प्रभावशाली लेखनों की पहचान करने और साथ ही इस तरह के डाटा पर प्रोत्साहन प्रयोजनों के निमित्त विचार करने के लिए उद्धरणों का एक डाटाबेस तैयार करना; एलएल.एम. कार्यक्रम में अनिवार्य शोधपत्र जैसी पूर्वापेक्षाएं, एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए क्रमशः एक पंजीकरण पूर्व–प्रस्तुति और एक पाठ्यक्रम निर्धारित करना; तथा उन्नत विधिक अनुसंधान के लिए 4 नए केन्द्र स्थापित करना।

7. उन्नत विधिक अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र (सीएएलएसएआर)

कानून के विभिन्न पक्षों की बाबत जिन बिंदुओं पर आम आदमी का वास्ता पड़ता है उनके बारे में अनुसंधान करने तथा साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार को सलाह देने के वास्ते एक चिंतन–कोष के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से प्रत्येक क्षेत्र में 4 स्वायत्त और नेटवर्कों से सुसंयोजित उन्नत विधिक अध्ययन और अनुसंधान (सीएएलएसएआर) केन्द्र स्थापित किए जाने की जरूरत है। ये सीएएलएसएआर संकाय के लिए अविच्छिन्न विधिक शिक्षा सहित विधि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ समुचित तालमेल तथा संस्थानगत वैचारिक आदान–प्रदान के अवसर सुलभ कराएंगे। इन केन्द्रों के कुछेक अन्य विशिष्ट कार्यों और लक्ष्यों में ये शामिल होंगे: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक समकक्ष समीक्षित पत्रिका का प्रकाशन; विधि के प्रति बहुविषयक्षेत्रीय दृष्टिकोणों को सुविधापूर्ण बनाना; शोधकर्ताओं के लिए आवास पर व्यवस्थाओं का संस्थायन करना; कार्यशालाएं आयोजित करना तथा विधि के नए और उभरते क्षेत्रों में गहन अनुसंधान शुरू करना।

प्रत्येक सीएएलएसएआर को एक शैक्षणिक परिसर, सम्मेलन सुविधाएं, एक विश्वस्तरीय पुस्तकालय तथा अन्य आधारिक–तंत्र का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की जरूरत होगी। इन संस्थानों को वेतन, अध्येतावृत्तियां, प्रशासनिक व्यय और संबंधित खर्चों के वास्ते 5 करोड़ रुपए का एक वार्षिक बजट उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रारंभिक निवेश और वार्षिक बजटों का खर्च केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों (जो सीएएलएसएआर की मेजबानी करेगी) द्वारा वहन किया जाएगा लेकिन सीएएलएसएआर को अंततः नवाचारी वित्तीय तरीकों के माध्यम से धीरे–धीरे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

8. विधिक शिक्षा का वित्तपोषण

फीस के स्तर को लेकर निर्णय लेने का अधिकार तो विधि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पास रहेगा लेकिन फीस इतनी होनी चाहिए कि विश्वविद्यालयों में कुल खर्चे के कम से कम 20% की पूर्ति की जा सके। यह व्यवस्था दो शर्तों के अध्यधीन होनी चाहिए: पहली तो यह कि जरूरतमंद छात्रों को अपने खर्चे पूरे करने के लिए छात्रवृत्तियों सहित फीस माफी की सुविधा दिलाई जाए; दूसरी यह कि यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसमें से विश्वविद्यालयों द्वारा उच्चतर फीस के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों के बराबर की कटौती करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को भी विधि की विशेषज्ञतापूर्ण शाखाओं में 'पीठ' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य वित्तपोषण की पूर्ति समुचित सरकारी–निजी भागीदारी जैसी सहक्रियात्मक व्यवस्थाओं सहित निजी क्षेत्र की स्थायी निधि से की जा सकती है। निगमित क्षेत्र द्वारा एक उच्च न्यूनतम सीमा से बढ़कर दिए जाने वाले दान के लिए कर–छूट जैसे प्रोत्साहनों पर विचार किया जा सकता है। संस्थानों को आधारिक–तंत्र और संसाधन प्रयोग को अधिकतम करने के लिए वित्तपोषण के वास्ते स्वयं अपने नवाचारी तरीके तैयार करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

9. अंतर्राष्ट्रीयकरण के आयाम

आज की तारीख में विश्वस्तरीय विधि स्कूलों का निर्माण करने का आशय विधिक शिक्षा और विधिक व्यवसाय के उभरते अंतर्राष्ट्रीय आयामों के प्रति, जहां घरेलू विधि की अपेक्षित समझ के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना जरूरी है सृजनात्मक रूप से संवेदनशील होना पड़ेगा। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सुझाई गई पहलों में ये शामिल हैं: संयुक्त/दोहरी डिग्रियां प्रदान करने के वास्ते लब्धप्रतिष्ठ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और भागीदारी स्थापित करना; वीडियो–कांफ्रेंसिंग तथा इंटरनेट माध्यमों से वैश्विक संकाय द्वारा संयुक्त रूप से पढ़ाए जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण करने के वास्ते तरीके ढूंढ़ना; और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संकाय, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का और छात्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान के अवसरों का निर्माण करना।

10. विधिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी

विधिक ज्ञान के अधिकतम प्रसार के लिए भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई), सर्वोच्च न्यायालय पुस्तकालय, इंडियन सोसायटी फार इंटरनेशनल ला (आईएसआईएल) और साथ ही देश में स्थित सभी विधि स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों को नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए और उनका डिजिटीकरण किया जाना चाहिए। इस तरह का नेटवर्क निर्माण कंप्यूटरों, विधि पत्रिकाओं, विधिक डाटाबेसों तथा विधि की शिक्षा देने के वाले संस्थानों में उत्तम पुस्तकालयों के लिए जरूरत के अतिरिक्त होगा।